दान की गयी भूमि के अपहरण का पाप

(शिलालेखों/दानपत्रों से संकलित)

भवनाथ झा
महावीर मन्दिर

भारत में राजाओं के द्वारा मन्दिर के नाम से धर्मार्थ भूमि अथवा अक्षयनीवी के रूप में राशि दान करने की परम्परा रही है। साथ ही, अनेक राजाओं ने तीर्थों में जाकर विशेष अवसरों पर तीर्थ-पुरोहितों, विशिष्ट ब्राह्मणों एवं याज्ञिकों को भूमिदान अथवा ग्रामदान करते रहे हैं। पुरातत्त्व वेत्ताओं ने ऐसे अनेक दान-पत्रों, शिलालेखों का संग्रह किया है जिनका प्रकाशन लगभग 200 वर्षों से विभिन्न संग्रहों में हुआ है। सभी दाता भविष्य में होनेवाले राजाओं के द्वारा उस सम्पत्ति के अपहरण की आशंका से ग्रस्त रहे हैं। अतः दान-पत्र अथवा शिलालेख में कुछ ऐसे श्लोक उपलब्ध होते हैं, जिनमें दान की सम्पत्ति के अपहरण से होनेवाले जघन्य पापों की गणना की गई है। यहाँ ऐसे कुछ श्लोक संकलित हैं जो प्राचीन शिलालेखों एवं दान-पत्रों में सामान्य रूप से मिलते हैं-

1. **भूमिदानसंबद्धाः श्लोकाः भवन्ति।**
   स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्।
   स विष्ठायां कृमिर्भूत्वा पितृभिः सह पच्यतेति॥

कुमारगुप्त प्रथम का दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख 444 ई.

अर्थात् भूमिदान के सम्बन्ध में ये श्लोक कहे गये है:-

स्वयं दान की हुई या दूसरे के द्वारा दी गयी जमीन जो छीन लेते हैं, वे विष्ठा का कीड़ा बन कर अपने पितरों के साथ कष्ट पाते हैं।

2. **अपि च भूमिदानसम्बद्धामिमौ श्लोकौ भवतः।**
   पूर्वदत्तां द्विजातिभ्यो यत्नाद्रक्ष युधिष्ठिर।
   महीं महीवतां श्रेष्ठ दानाच्छ्रेयोनुपालनम्॥
   बहुभिर्व्वसुधा दत्ता दीयते च पुनः पुनः।
   यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलमिति॥

कुमारगुप्त प्रथम का दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख 447 ई.

अर्थात् और भी, भूमिदान के सम्बन्ध में ये दो श्लोक कहे जाते हैं:-

ये युधिष्ठिर! पूर्व में ब्राह्मणों को जो भूमि दान की गयी है, यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करो। हे भूमिपालों में श्रेष्ठ! दान को बरकरार रखना दान करने से श्रेष्ठ है।

बहुत लोगों ने भूमिदान किया और बार बार दान किया करते हैं। जब जिनकी भूमि होती है तब उन्हें दान का फल मिलता है।

3. **यो व्यक्क्रामेद्दायमिमं निबद्धं गोघ्नो गुरुघ्नो द्विजघातकः सः।**
   तैः पातकैः पञ्चभिरन्वितोधर्ग्गच्छेन्नरः सोपनिपातकैश्चेति॥

स्कन्दगुप्त का इन्दौर ताम्रपत्र-अभिलेख-वर्ष 146

अर्थात् जो इस लिखे गये दान का व्यतिक्रमण (जिस कार्य के लिए जो सम्पत्ति दान की गयी है उससे भिन्न उपयोग) करते हैं वे गो-हत्या, गुरु-हत्या और ब्राह्मण-हत्या के भागी होते हैं। उन पाँच महापापों और अन्य पापों के भागी होकर नरक में जाते हैं।

4. **उक्तञ्च स्मृतिशास्त्रे।**

बहुभिर्व्वसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः।
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्॥
षष्टिवर्षसहस्राणि स्वर्गे मोदति भूमिदः।
आक्षेप्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत्
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्।
स विष्ठायां कृमिर्भूत्वा पितृभिस्सह पच्यते।
मा भूत् फलशङ्का वः परदत्तेति पार्थिवाः॥
स्वदानात्फलमानन्त्यं परदत्तानुपालने।

शशांककालीन गंजाम ताम्रपत्र अभिलेख, 619 ई.

अर्थात् स्मृति-शास्त्र में भी कहा गया है-

सगर आदि अनेक राजाओं ने भूमि दान में दी थी। जब जिसकी भूमि होती है तब उन्हें दान का फल मिलता है।

भूमिदान करने वाला साठ हजार वर्षों तक स्वर्ग में आनन्दपूर्वक रहता है उस दान पर आक्षेप करने वाला और अपहरण करनेवाला उतने ही वर्षों तक नरक में वास करता है।

अपनी दी हुई या दूसरी के द्वारा दी हुई भूमि का जो हरण करते हैं वे विष्ठा का कीड़ा बनकर अपने पितरों के साथ दुःख झेलते हैं।

हे राजागण! यह भूमि दूसरे के द्वारा दी गयी है यह सोचकर आप लोगों को फल-प्राप्ति में शंका नहीं करनी चाहिए। दूसरे के द्वारा किए गये दान का पालन करने में अपने द्वारा किए गये दान से भी अनन्त फल प्राप्त होता है।

5. **यतो भवद्भिःस्सर्व्वैस्स्वभूमेर्दानफलगौरवादपहरणे च महानरकपातादिभयाद् दानमिदम् अनुमोद्य परिपालनीयम्। प्रतिवासिभिः क्षेत्रकरैश्च आज्ञाश्रवणविधेयैरभूत्वा समुचितकरपिण्डकादिसर्व्वप्रत्यागोपनयः कार्य इति॥**

बहुभिर्व्वसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः।
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तदा फलम्॥
षष्टिवर्षसहस्राणि स्वर्गे मोदति भूमिदः।
आक्षेप्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वसेत्॥
स्वदत्तां परदत्ताम्बा (वा) यो हरेत वसुन्धराम्।
स विष्ठायां कृमिर्भूत्वा पितृभिस्सह पच्यते॥ इति
कमलदलाम्बुबिन्दुलोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितञ्च।
सकलमिदमुदाहृतञ्च बुध्वा नहि पुरुषैः परकीर्त्तयो विलोप्याः॥
तडित्तुल्या लक्ष्मीस्तनुरपि च दीपानलसमा।
भवो दुःखैकान्तः परकृतिमकीर्तिः क्षपयताम्।
यशांस्याचन्द्रार्कं नियतमवतामत्र च नृपाः
करिष्यन्ते बुध्वा यदभिरुचितं किं प्रवचनैः॥

धर्मपालदेव का खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख, 9वीं शती

अर्थात् चूँकि अपनी भूमि का दान करने से उत्तम फल मिलता है और उसका अपहरण करने से नरक आदि में गिरने का भय रहता है अतः आप सब इस दान का अनुमोदन करते हुए पालन करें। अगल-बगल की भूमि के स्वामी तथा किसान आदेश सुनकर उचित कर, अन्न की ढेरी आदि समर्पित करें।

सगर आदि अनेक राजाओं ने भूमिदान किया। जब जिनकी भूमि होती है, उस समय उन्हें फल मिलता है।

भूमिदान करनेवाले साठ हजार वर्षों तक स्वर्ग में आनन्द करते हैं किन्तु उस पर आक्षेप करनेवाले और हरण करनेवाले उतने ही वर्षों तक नरक में रहते हैं।

अपनी दी हुई अथवा दूसरों के द्वारा दी हुई भूमि का जो हरण करते हैं वे विष्ठा का कीड़ा बनकर पितरों के साथ कष्ट भोगते हैं।

कमल के पत्ते पर गिरे हुए जल के समान धन एवं जीवन को मानते हुए और सर्वस्वात्याग का उदाहरण मानते हुए लोगों के द्वारा दूसरे की कीर्ति का अन्त नहीं करना चाहिए।

बिजली की चमक के समान लक्ष्मी है और जीवन दीप की शिखा के समान क्षणिक है। इस संसार में दु:ख ही दु:ख है और दूसरे की कीर्ति को नष्ट करनेवाले को अपयश मिलता है। दान की रक्षा करनेवाले राजा सूर्य और चन्द्रमा के रहने तक यश के भागी होते हैं यह सब जानकर लोगों की जो इच्छा होगी वह करेंगे अधिक कहने से क्या लाभ!!

6. अथात्र पौराणिका: श्लोका:-

भूमिं य: प्रतिगृह्णाति यश्च भूमिं प्रयच्छति
उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वर्गगामिनौ॥
योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददात्यर्चितमेव वा।
तावुभौ गच्छत: स्वर्ग नरकं तु विपर्यये॥
बहुदि(भि)र्वसुधा भुक्ता राजभि: सगरादिभि:।
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्॥
यानीह दत्तानि पुरा नरेन्द्रैर्दानानि धर्मार्थयशस्कराणि।
निर्माल्यवत्तत्प्र(वान्तप्र)तिमानि तानि को नाम साधु: पुनराददीत॥
अस्मत्कुलं परमुदारमुदाहरद्भि-
रनै(न्यै)श्च दानमिदमचाणु(भ्यनु)मोदनीयम्।
लक्ष्म्यास्तडित्सलिलबुद्बुदचञ्चलाया
दानं फलं परयश:परिपालनं च॥
षंख(शङ्ख) भद्रासनं छत्रं वराश्वावरवारणा:।
भूमिदानस्य चिह्नानि मसं(फलं) [स्वर्ग:] पुरंदर॥
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंधराम्।
स विष्टायां कृमिर्भूत्वा पितृभि: सह मोदते॥

गहड़वाल राजगोविन्दचन्द्र का सं. 1162 का दानपत्र
एपिग्राफिआ इण्डिका- 2।359-361

अर्थात् यहाँ पर पुराणों के श्लोक कहे गये हैं-

जो भूमिग्रहण करते हैं और जो भूमिदान करते हैं, वे दोनों पुण्य कर्मवाले है जो निश्चित रूप से स्वर्ग जाते हैं। जो पूजित देव-विग्रह दान लेते हैं और जो पूजित देव-विग्रह दान करते है वे दोनों स्वर्ग जाते हैं और इसके विपरीत आचरण अर्थात् दान की गयी वस्तु का अपहरण करने पर नरक में जाते हैं। सगर आदि अनेक राजाओं ने पृथ्वी का भोग किया, जिस काल में जिस राजा की भूमि होती है वे (पूर्व में दिये गये दान का अनुपालन करते हुए) फल के भागी होते हैं। इस लोक में प्राचीन काल के राजाओं ने धर्म एवं यश के लिए दान किया। उन दानों को निर्माल्य के समान मानना चाहिए, भला कौन ऐसा होगा जो उसे पुन: ग्रहण करे। हमारा कुल परम उदात्त है, यह साबित करते हुए दूसरे

लोग भी इस दान का अनुमोदन करें। बिजली के समान तथा पानी के बुलबुले के समान लक्ष्मी का परिणाम (फल) दान एवं दूसरे के यश का परिपालन करना होता है। हे इन्द्र! शंख, प्रशस्त आसन, छत्र, श्रेष्ठ घोड़ा एवं हाथी- ये भूमि दान के चिह्न (दान-पत्र पर अंकित) होते हैं और उसका फल स्वर्ग होता है। स्वयं दान की गई या दूसरों के द्वारा दान की गई भूमि का अपहरण करते हैं वे विष्ठा (पैखाना) का कीड़ा बनकर पितरों के साथ प्रसन्न रहते हैं।

इसी प्रकार, गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र के सं. 1192 के दानपत्र में दो श्लोक इस प्रकार मिलते हैं-

सर्वानेतान् भाविनः पार्थिवेन्द्रान्
भूयो भूयो याचते रामभद्रः।
सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नृपाणां
काले काले पालनीयो भवद्भिः॥
सुवर्णमेकं गामेकां भूमेरप्येकमङ्गुलम्।
हरन्नरकमाप्नोति यावदाहूतसंप्लवम्॥
तडागानां सहस्रेण अश्वमेधशतेन च।
गवां कोटिप्रदानेन भूमिहर्ता न शुद्ध्यति॥

अर्थात् भविष्य में होनेवाले सभी इन राजाओं से यह रामचन्द्र (स्वयं के लिए) बार बार याचना करता है कि यह दान-कार्य सभी राजाओं के लिए सामान्य रूप से धर्म का मार्ग है अतः सभी कालों में आप सब के द्वारा दान का पालन किया जाना चाहिए।

एक सुवर्ण (एक तोला सोना), एक गाय या एक अंगुल भूमि का हरण करनेवाला प्रलय काल के आने तक नरक का भोग करता है।

हजारों तालाब खुदवाने से, सौ अश्वमेध यज्ञ करने से या करोड़ों गोदान करने से भूमि का हरण करने वाला शुद्ध नहीं होता है।

इस प्रकार के विभिन्न श्लोक अनेक शिलालेखों/दान-पत्रों में प्राप्त होते हैं।

❖